PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Paper No-II **Paper Name- CRPC** **Unit-4**

Q1 वे कौन से मामले है जिनमे अपील नहीं हो सकती? सत्र न्यायलाल में अपील की सुनवाई की प्रक्रिया समझाइये |

Ans **धारा 376 छोटे मामलों में अपील न होना**- धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात्

(क) जहाँ उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दण्डादेश पारित करता है;

(ख) जहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दण्डादेश पारित करता है;

(ग) जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है, अथवा

(घ) जहाँ संक्षेपत: विचारित किसी मामले में, धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है ।

परन्तु यदि ऐसे किसी दण्डादेश के साथ कोई अन्य दण्ड मिला दिया गया है, तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है किन्तु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जाएगा कि

(i) दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, अथवा

(ii) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दण्डादेश में सम्मिलित किया गया है, अथवा

(iii)उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दण्डादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है।

इस धारा में कतिपय ऐसे मामलों का उल्लेख है जिनके लिए अपील नहीं हो सकती है, अर्थात् जिनके लिए अपील का प्रावधान नहीं है।

इस धारा के अधीन वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, निम्नांकित हैं

(i) उच्च न्यायालय द्वारा पारित छः मास से अनधिक की अवधि का कारावास या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का, या ऐसे कारावास और जुर्माने, दोनों का दण्डादेश;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ii) सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तीन माह से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास और जुर्माने, दोनों का दण्डादेश;

iii) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित केवल एक सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश, अथवा (iv) संक्षिप्त विचारण के किसी मामले में धारा 260 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा पारित केवल दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश।

जहाँ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, किसी मामले में 50 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी|

यदि अभियुक्त को एक सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया गया है, तो इसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी। यदि अभियुक्त को विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने से दंडित किया गया है तथा जुर्माने की कुल राशि 100 रुपये से अधिक नहीं है, तो उनमें से किसी भी दंड के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी|

धारा 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी- (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी :

परन्तु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी।

(2) अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खण्ड का सेशन न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिये उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश दे|

इस धारा में यह बताया गया है कि सेशन न्यायालय के समक्ष की गयी अपील की सुनवाई किस प्रकार होगी। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार सेशन न्यायालय में की गयी प्रत्येक अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी। परन्तु यदि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गये विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जाती है, तो वह सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी तथा निस्तारित की जाएगी।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें ही सुन सकेंगे जिन्हें खण्ड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन्हें सुपुर्द करे या जिनकी सुनवाई के लिए उन्हें उच्च न्यायालय विशेषतया निदेश दे। ये न्यायाधीश पक्षकारों से सीधे अपील ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि वह उन्हें उपर्युक्त किसी द्वारा निपटाने हेतु न सौंपी गई हों |

Q2 **फौजदारी मामलो में जमानत स्वीकार करने के विस्त्रत नियमो का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिये। किन परिस्थितियों में जमानत रद्द की जा सकती है?**

Ans **धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी**- (1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इनमें इसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिये प्रतिभूओं रहित बन्धपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा।

स्पष्टीकरण. - जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिये यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये निर्धन व्यक्ति है।]

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा (3) [या धारा 446क]6 के उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति, हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चात्वर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इन्कार कर सकता है और ऐसी किसी इन्कारी का, ऐसे जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

जमानत मंजूर करना या न करना पूर्णतः न्यायालयीन विवेक पर निर्भर करता है - यद्यपि अभियुक्त की जमानत स्वीकार करना या उसे नामंजूर करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने **गुडीकान्ति नरसिंहुलू बनाम लोक अभियोजक**, आन्ध्र प्रदेश के वाद में इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, जो निम्नलिखित हैं

1 मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय पूर्ण सावधानी बरतते हुये युक्तियुक्तता (Reasonableness) के आधार पर किया जाना चाहिये।

2 जमानत नामंजूर की जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है, इसलिये मजिस्ट्रेट द्वारा इसका प्रयोग दाण्डिक उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिये, अपितु अभियुक्त और समाज, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिये।

3. जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जमानत पर छोड़ दिये जाने पर अभियुक्त साक्षियों के लिए खतरा उत्पन्न तो नहीं करेगा या न्यायिक कार्यवाही के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

4. जमानत के आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के पूर्व वृत्तान्त को भी ध्यान में रखना चाहिये और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अभियुक्त के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की सम्भावना तो नहीं है।

5. सामान्यतः अभ्यस्त और घोर अपराधियों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिये।

डॉ० दत्तात्रेय सामंत बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में बंबई उच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानतीय अपराध की दशा में जमानत देने के लिए तैयार है तथा मामले को अन्य सभी शर्तें सन्तोषजनक हैं, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

अभियुक्त उस स्थिति में जमानत का हकदार होगा यदि आवेदन दिए जाते समय उसका निरोध विधिपूर्ण है। यदि अभियुक्त का निरोध वैध है और वह जमानत के लिए आवेदन देता है, तो उसके पूर्ववर्ती अवैध निरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW